



उच्च न्यायालय इलाहाबाद

लखनऊ पीठ

रिट - ए संख्या - 6025 वर्ष 2026

राजेश कुमार सिंह और 3 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
लखनऊ और 7 अन्य।

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अखिलेश प्रताप सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता श्री अखिलेश प्रताप सिंह एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री निशांत शुक्ला को सुना गया।
2. यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत एक रिट याचिका है, जिसमें रिट याचिकाकर्तागण द्वारा निम्नलिखित मुख्य अनुतोषों की मांग की गई है:-

"(i) उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी कर प्रत्यर्थी संख्या-3 द्वारा पारित आक्षेपित स्थानांतरण आदेश दिनांक 31.05.2026 को रद्द किया जाए, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता संख्या 1 से 3 को जनपद लखनऊ से जनपद शाहजहांपुर तथा याचिकाकर्ता संख्या 4 को जनपद लखनऊ से जनपद फतेहपुर स्थानांतरित किया गया है,

(ii) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी कर प्रत्यर्थियों को यह आदेशित किया जाए कि वे आक्षेपित स्थानांतरण आदेश दिनांक 31.05.2026 को प्रभावी न करें तथा याचिकाकर्तागण को जनपद लखनऊ स्थित उनके वर्तमान तैनाती स्थल पर कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान करें।"

3. स्थानांतरण आदेश दिनांक 31.05.2026, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता संख्या 1 से 3 को जनपद लखनऊ से जनपद शाहजहांपुर और याचिकाकर्ता संख्या 4 को जनपद लखनऊ से जनपद फतेहपुर स्थानांतरित किया गया है, को चुनौती देने का एकमात्र आधार यह है कि उक्त स्थानांतरण आदेश उक्त पद पर कतिपय पसंदीदा व्यक्तियों को समायोजित करने हेतु जारी किया गया है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार प्रत्यर्थियों का यह कृत्य कपटपूर्ण/द्वेषपूर्ण व भेदभावपूर्ण है और इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की अपेक्षा करता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्तागण विगत 18 वर्षों से उक्त पदों पर सेवारत हैं और उनके पारिवारिक, शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के दृष्टिगत उनके स्थानांतरण से उन्हें गंभीर कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि शाहजहांपुर तुलनात्मक रूप से एक छोटा शहर है, अतएव याचिकाकर्तागण को लखनऊ से शाहजहांपुर स्थानांतरित न किया जाए।
5. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री निशांत शुक्ला ने पुरजोर तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्तागण विगत 18 वर्षों से उक्त पदों पर निरंतर बने हुए हैं और आक्षेपित आदेश एक सामान्य/रूटीन स्थानांतरण है। उनके अनुसार स्थानांतरण सेवा शर्त का एक आनुषंगिक अंग होने के कारण इस न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप का औचित्य नहीं बनता है।
6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने के उपरांत इस न्यायालय का यह मत है कि किसी कर्मचारी के स्थानांतरण के मामलों में न्यायिक पुनरावलोकन का दायरा एवं विस्तार सीमित है। न्यायालयों ने न्याय-दृष्टांतों की श्रृंखला में यह अभिनिर्धारित किया है कि स्थानांतरण सेवा की एक घटना/शर्त है और जब तक कि स्थानांतरण सिद्ध द्वेष से ग्रसित न हो, किसी आज्ञापक नियम के उल्लंघन में न किया गया हो अथवा सेवा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालता हो, तब तक इस न्यायालय द्वारा इसमें सामान्य रूप से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। तथापि जहां तक पारिवारिक, शैक्षणिक या स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से संबंधित अन्य आधारों का प्रश्न है, जैसा कि याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उनके लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष इस संबंध में प्रत्यावेदन भेजने का मार्ग सदैव खुला है। तदनुसार, यह निर्देशित किया जाता है कि याचिकाकर्तागण स्थानांतरण आदेश से उत्पन्न अपनी शिकायतों

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के निवारण हेतु प्रत्यर्थी संख्या-2, महानिदेशक, परिवार कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के समक्ष एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

7. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सक्षम प्राधिकारी याचिकाकर्तागण को सुनवाई का अवसर प्रदान करेंगे तथा मामले के सभी प्रासंगिक तथ्यों एवं परिस्थितियों पर सहानुभूतिपूर्वक, विधि के अनुसार एक तर्कसंगत एवं स्पष्ट आदेश पारित करेंगे।

8. उपरोक्त प्रेक्षणों/निर्देशों के साथ रिट याचिका **निस्तारित** की जाती है।

5 जून, 2026

प्रवीण

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।